संख्या-18/2022/I/213185/2022-एस-243/38-2002-002/5/2022

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2022

विषय:- विभाग द्वारा उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेट को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-301/1/प्रशि0/बजट आवंटन/(4)/2022-23, दिनांक 10.08.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 मई, 2022 में विभागाध्यक्ष स्तर से ही अधीनस्थ कार्यालयों के विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किये जाने के निर्देश के क्रम में "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान" के मानक मद 09-विद्युत देय में प्राविधानित धनराशि रू0 45.00 लाख को "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ" के मानक मद 09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान" के मानक मद 09-विद्युत देय में प्राविधानित धनराशि रू0 45.00 लाख को "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ" के मानक मद 09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग किये जाने की** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) प्र0वि0 स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आवश्यक धनराशि का ही आहरण कोषागार से यथावश्यकता चरणों में की जायेगी।

(2) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व प्र0वि0 का होगा।

(4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-18/2022/।/213185/2022/38-2002-002/5/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- श्री हरीराम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
5- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(सदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20222023-38-2002-002-05-2022

विषय:- विभाग द्वारा उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्तीय वर्ष
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	09 (विद्युत देय)	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	-45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	2022-2023

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्तीय वर्ष
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,प्रशिक्षण तालाब लखनऊ)	09 (विद्युत देय)	65,00,000 रुपये पैंसठ लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) जिन मामलों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार या केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

(2) प्रस्तुत की जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय संबंधित मदों में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उस मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर धनराशि व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या: आर ई-बजट-1-62-2022-23, दिनांक- ~~अगस्त~~ 09 सितम्बर, 2022

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 प्रयागराज।

Signed by रमेश चन्द्र मिश्र
(रमेश चन्द्र मिश्र)
उपसचिव
Date: 01-09-2022 17:55:22
Reason: Approved

(फूल चन्द्र यादव)
अनुसचिव